To The Table

21-1-17

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०। प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण में आरोपी को जारी गिरफतारी बारंट अदम तामील प्राप्त हो रहे हैं आरोपी को दिनांक 21-9-15 से लगातार गिरफतारी बारंट जारी किये जा रहे हैं गिरफतारी बारंट की तामीली का निर्वहन सम्यक रूप से नहीं हो पा रहा है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरोपी अपने आप को छिपाये हुये हैं तामील को प्राप्त नहीं करना चाहता है। बार बार आरोपी को गिरफतारी बारंट जारी किये जाने से न्यायालय कास अमूल्य समय नष्ट हो रहा है ऐसे में आरोपी को धारा 299 दं0प्र0स0 के तहत फरार घोषित करते हुये उसे जरिये स्थाई गिरफतारी बारंट जारी किया जावे।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ भाग पर टीप अंकित की जावे कि आरोपी फरार है प्रकरण सुरक्षित रखा जावे ।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

सही / -

जे०एम०एफ०सी०

